तारीख़ हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
२०।१०।२१	आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के तहत ग्राम पंचायत काठपाड़ी में आयोजित कैम्प में पेश हुई। पत्रावली पर प्राप्त तहसीलदार खेतड़ी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अवगत करवाया गया है कि निर्णय के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 151 का रकबा 0.25 है0 के स्थान पर 0.36 है0 किया जाना है, जिससे खसरा नम्बर 151 के रकबे में 0.11 है0 की वृद्धि होगी। किन्तु उक्त बढ़ा हुआ रकबा किस खसरे में से कम किया जाना है, इसका उल्लेख निर्णय में नहीं किया गया है। मेरे द्वारा निर्णय एवं चिट्ठी दिनांक 29-05-2018 का अवलोकन किया गया। निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा भूमि खसरा नम्बर 151 का रकबा 0.25 के स्थान पर 0.36 है0 किये जाने का आदेश दिया गया है, किन्तु बढ़ा हुआ रकबा किस खसरे में से कम किया जाना है, इसका उल्लेख निर्णय में नहीं किया गया है। यदि किसी अन्य खसरे का रकबा कम नहीं किया जाकर खसरा नम्बर 151 का रकबा 0.25 है0 के स्थान पर 0.36 है0 किया जाता है तो राजस्व ग्राम का रकबा बढ़ जायेगा, जो कि संभव नहीं है। अतः तकनीकी रूप से निर्णय की पालना किया जाना संभव नहीं होने के कारण पत्रावली की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। [illegible] फैसल शुमार व दर्ज नम्बर से [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.06.29 13:11:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner